[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 2/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं पर, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अध्याय, खंड, शीर्ष या समूह के अंतर्गत आते हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर उदगृहीत किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	**सेवाओं का वर्णन**	**अध्याय, खंड, शीर्ष या समूह**	**दर (प्रतिशत में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है या नहीं) किसी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण	अध्याय 99	उपकर की वह समान दर, जो माल में हक के अंतरण को अंतर्वलित करने वाले समान माल की पूर्ति पर लागू है
2	हक के अंतरण के बिना किसी माल के या उसके अविभाजित भाग के अधिकार का अंतरण	अध्याय 99	उपकर की वह समान दर, जो माल में हक के अंतरण को अंतर्वलित करने वाले समान माल की पूर्ति पर लागू है
3.	सेवाओं की कोई अन्य पूर्ति	अध्याय 99	शून्य

2. □□□□□□□□□□, - जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''अध्याय'', ''खंड'', ''शीर्ष'' □□ "□□□□" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमश: ''अध्याय'', ''खंड'' ''शीर्ष'' □□ "□□□□" का है ।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 334/1/2017 टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार